the period 1.6.1995 to 31.5.1996; 9 CSS officers at Joint Secretary level out of 124 Joint Secretary level appointments made during the period 1.6.96 to 31.5.97; and 8 CSS officers at Joint Secretary level out of 85 Joint Secretary level appointments made during 1.6.97 to 31.5.98, does not indicate any delay in their placement at Joint Secretary level. Further, empanelment is done for adjudging the suitability of an officer for inclusion in the Joint Secretaries' suitability list, while placement depends upon the availability of a vacancy. Preparation of suitability list is not vacancy-related. At present, there are 21 CSS officers in the Joint Secretaries' suitability list still awaiting placement at Joint Secretary level. Therefore, preparation of futher suitability lists would, no doubt, increase the number of officers in the list.

सांसदों के पत्रों का उत्तर

2542. **चौधरी हरमोहन सिंह यादव:**
श्री नागमणि:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध जो कि कार्यालय प्रक्रिया मैनुअल के पैरा 57 और 60 में सांसदों के पत्रों के निपटान के संबंध में दिए गए अनुदेशों का अनुपालन नहीं करते हैं, किस तरह के दण्ड का प्रावधान है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अनुदेश जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसे भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की संख्या क्या है जिनके खिलाफ पिछले दो सालों में इन अनुदेशों का अनुपालन न करने के लिए कार्रवाई की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री: (श्री आर० जनार्दन): (क) से (ग) भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से यह अपेक्षित है कि वे सांसदों से प्राप्त पत्रों का तत्परता से उत्तर देने/निबटान करने के संबंध में केन्द्रीय सचिवालय-कार्यालय-पद्धल ति-नियम-
पुस्तिका में निर्धारित दिशा-निर्देशों का ईमानदारी, निष्ठा और अत्यन्त सावधानी से पालन करें। यदि अंतिम उत्तर देने में कुछ देर होने के आसार लग रहे हों अथवा यदि पत्र में मांगी गई सूचना, पत्र से संबंधित कार्यालय को छोड़कर अन्य कार्यालयों से एकत्र की जानी हो तो जिस संभावित तारीख तक अंतिम उत्तर भेजा जा सकता हो, वह तारीख दर्शाते हुए एक पखवाड़े के भीतर अंतिम उत्तर भेजा जाना अपेक्षित है। कर्मचारियों द्वारा इस प्रक्रिया का किसी प्रकार से उल्लंघन किए जाने पर मौजूदा अनुशासनिक प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाती है। तथापि, उपर्युक्त दिशा-निर्देश, राज्य-सरकारों के कर्मचारियों के संबंध में लागू नहीं होते, क्योंकि इस संबंध में राज्य-सरकारें सामान्यतः अपने दिशा-निर्देश स्वयं निर्धारित करती हैं।

(घ) इस बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि इस संबंध में केन्द्रीयकृत रूप से सारणी तैयार किए जाने की कोई प्रणाली मौजूद नहीं है।

Imposition of levy on Petrol and Diesel in Karnataka

2543. SHRI K. RAHMAN KHAN: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that Government of Karnataka is levying additional tax on sale of petrol and diesel in the State for mobilising resources for Bangalore urban infrastructure; and

(b) if so, since when this levy is imposed and how much amount has been collected till date?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR): (a) Yes, Sir.

(b) The levy of cess has been imposed w.e.f. 1.4.95. As of 31.3.98, approximately Rs. 25 crores have been deposited by Public Sector oil companies on account of this levy with the Govt. of Karnataka.